

राजस्थान सरकार  
निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर  
जी-3, राजस्थान रेजीडेन्सी ऐरिया स्कीम,  
सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर-16

क्रमांक : मॉ. प्रकोष्ठ/परिपत्र/डीएलबी/2015/ 5018-5205

दिनांक : 18/05/2015

मुख्य नगरपालिक अधिकारी/आयुक्त,  
नगर निगम/परिषद्/पालिकाएँ  
समस्त, राजस्थान ।

--: परिपत्र :-

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एआर/जीआर-1/2014 दिनांक 24.11.2014 के द्वारा 1 जनवरी, 2015 से शपथ - पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। और दस्तावेजों के स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति लगाने की व्यवस्था की गई है।

राज्य सरकार के आदेश प.3 (8)प्रसु/टाइम्स/2013 दिनांक 24.12.2014 के द्वारा प्रत्येक कार्यालय में प्राप्त होने वाले परिवाद/शिकायत/आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद दिया जाना आवश्यक है।

उक्त आदेशों की अनुपालना में यह निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार के परिपत्र/आदेश की अक्षरशः पालना की जावे। नियमों, आदेशों, फार्मस, ब्रॉशर्स इत्यादि में इनके विपरीत प्रावधानों को संशोधित करने के लिये यदि आवश्यक हो तो प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाएँ, ताकि प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप नियमों में संशोधन की कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(पुरुषोत्तम बियाणी)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : मॉ. प्रकोष्ठ/परिपत्र/डीएलबी/2015/ 5206-5235

दिनांक : 18/5/2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
3. समस्त अनुभागाधिकारी, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रशासनिक अधिकारी, (डाक व्यवस्था) स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(नीतू राजेश्वर)  
उप निदेशक (प्रशासन)